"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 सितम्बर 2007—भाद्र 23, शक 1929

भाग 3 (1)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 16 अगस्त 2007

क्रमांक/परिसमापन/2007/1685.—पंजीयन क्रमांक 3739 दिनांक 6-9-98 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 918 दिनांक 18-7-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर कोटेश्वर गिट्टी मजदूर खदान स. स. अमाली को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधि., कोटा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 16 अगस्त 2007

क्रमांक/परिसमापन/2007/1686.—पंजीयन क्रमांक 3670 दिनांक 3-6-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1712 दिनांक 19-12-2006 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर लाल बहादुर शास्त्री प्राथ. स. उप. भंडार, बोदरी को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 16 अगस्त 2007

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2007/1687.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/1052/बिलासपुर, दिनांक 5-8-06 के तहत आदर्श बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित मंगला पंजीयन क्रमांक 3940 दिनांक 27-10-99 विकासखण्ड बिलासपुर जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्रीमति शोभा बन्दे, स. नि. बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 16-8-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 16 अगस्त 2007

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2007/1688.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/1947/बिलासपुर, दिनांक 17-12-93 के तहत श्री अन्नपूर्ण दुग्धक उत्पान सहकारी समिति मर्यादित टिकड़ी पंजीयन क्रमांक 3211 दिनांक 8-2-88 विकासखण्ड मरवाही जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री आर. के. गुप्ता सहकारिता विस्तार अधिकारी, मरवाही को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीय्न निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 16-8-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 16 अगस्त 2007

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2007/1689.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/1750/बिलासपुर, दिनांक 24-6-50 के तहत आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित छिनौची पंजीयन क्रमांक 3115 दिनांक 22-6-81 विकासखण्ड मरवाही जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री आर. के. गुप्ता सहकारिता विस्तार अधिकारी, मरवाही को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 16-8-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 16 अगस्त 2007

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2007/1690.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/2549/बिलासपुर, दिनांक 7-5-76 के तहत आदर्श चांवल दाल उद्योग सहकारी समिति मर्यादित मरवाही पंजीयन क्रमांक 2734 दिनांक 20-2-63 विकासखण्ड मरवाही जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री आर. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मरवाही को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 16-8-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 16 अगस्त 2007

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2007/1691.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/1947/बिलासपुर, दिनांक 17-12-93 के तहत कामधेनू दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित मटियाडाट पंजीयन क्रमांक 3215 दिनांक 8-2-88 कासखण्ड मरवाही जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री आर. के. गुप्ता सहकारिता विस्तार अधिकारी, मरवाही को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 16-8-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 23 अगस्त 2007

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2007/1745.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/780/बिलासपुर, दिनांक 27-6-06 के तहत हरिजन ईंधन पूर्ति सहकारी समिति मर्यादित बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 80 दिनांक 22-8-95 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री एम. के. बन्दे सहकारिता विस्तार अधिकारी सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23-8-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 23 अगस्त 2007

क्रमांक/परिसमापन/2007/1747.—पंजीयन क्रमांक 203 दिनांक 17-2-05 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1060 दिनांक 7-8-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर बिलासा कोल ईंधन स. स. बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री टी. टोप्पो, उप अंकेक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 25 अगस्त 2007

क्रमांक/परिसमापन/07/1766.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/265/दिनांक 24-02-07 के द्वारा गंगा सागर मछुवा सहकारी समिति मर्या. लखराम विकासखण्ड बिल्हा पं. क्र. 3561 को परिसमापन में लाया गया था. संस्था के अध्यक्ष श्री खुरसाल द्वारा संस्था के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के परीक्षण उपरान्त संस्था वर्तमान में नियमित कार्यशील है.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर अध्यक्ष द्वारा दिये गये प्रतिवेदन से पूर्ण सहमत होते हुए गंगासागर मछुवा सहकारी समिति मर्या. लखराम का परिसमापन आदेश निरस्त करते हुए पुनर्जीवित करता हूं. यह आदेश आज दिनांक 25-08-07 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

डी. आर. ठाकुर,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, परिसमापक सहकारी समिति मर्या., बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 2 जुलाई 2007

क्रमांक/परि./07/Q.—छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि निम्नांकित सहकारी समितियों के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित में प्रमाण इस प्रकाशन के 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक	स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	राजीव सफाई कामगार सह. समिति मर्या. बापू नगर, बिलासपुर.	3907	महेन्द्र बन्दे, (सह. निरीक्षक)	संयुक्त पंजीयक, राहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)
2.	इंदिरा गांधी सफाई कामगार सहकारी समिति मर्या., बिलासपुर.	3951	--,,--	--,,--
3.	प्रगतिशील बेरोजगार सह. समिति मर्या., बिलासपुर	108	--,,--	--,,--
4.	हरिजन बेरोजगार लेबर कन्स्ट्रेक्शन सहकारी समिति मर्या., बिलासपुर.	3718	--,,--	--,,--
5.	आकांक्षा फुटपाथ व्यवसायी साख एवं बचत सह. समिति मर्या. तारबहार, बिलासपुर.	3737	--,,--	--,,--

महेन्द्र बन्दे,
परिसमापक एवं सहकारी
निरीक्षक.

बिलासपुर, दिनांक 7 अगस्त 2007

क्रमांक/परिसमापन/07/क्यू.—छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि निम्नांकित सहकारी संस्थाओं के दावेदार/लेनदार अपने दावेमय लिखित में प्रमाण 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी. यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास निम्न संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें. अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)	परिसमापक (4)	स्थान (5)
1.	ईशा सह. उप. भण्डार तात्या टोपे नगर, बिलासपुर	3651/29-03-95	शोभा बन्दे, (सह. निरीक्षक)	संयुक्त पंजीयक, सह. संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)
2.	महामाया सह. उप. भण्डार तिलक नगर, बिलासपुर	3652/30-03-95	शोभा बन्दे, स. नि.	---,,---

बिलासपुर, दिनांक 10 अगस्त 2007

क्रमांक/परिसमापन/07/क्यू.—छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि निम्नांकित सहकारी संस्थाओं के दावेदार/लेनदार अपने दावेमय लिखित में प्रमाण 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी. यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास निम्न संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें. अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (3)	परिसमापक (4)	स्थान (5)
1.	गायत्री सह. उप. भण्डार महाराणाप्रताप नगर, बिलासपुर.	3404/17-2-95	शोभा बन्दे, स. नि.	कार्या. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.

शोभा बन्दे,
स. नि./परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, जनपद-पंचायत, गौरेला

गौरेला, दिनांक 16 जुलाई 2007

क्रमांक/परि./स. नि. अ./07/4141—छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि निम्नांकित सहकारी समितियों के दावेदार/लेनदार अपने दावेमय लिखित प्रमाण इस प्रकाशन के 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की

कार्यवाही की जावेगी. यह भी सूचित किया जाता है यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें. अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्र.	संस्था का नाम एवं पंजीयन क्रमांक	परिसमापक
1.	गोरखपुर खनिज सह. समिति मर्या. गोरखपुर, पं. क्र. 3756	जी. डी. जयसिंह, स. वि. अ. जनपद-पंचायत, गौरेला.
2.	अन्जनीपुत्र खनिज -----,,------ नेवसा, पं. क्र. 3857	--,,--
3.	गर्जनदहार सिद्धबाबा -----,,------ पतरकोनी, पं. क्र. 3765	--,,--
4.	मानस कल्याण श्रमिक ----,,---- गिरारी, पं. क्र. 3120	--,,--
5.	जय दुर्गे फल-फूल स्व. स. उत्पा. एवं प्रक्रिया पं. क्र. 113 सहकारी समिति मर्या. हर्री (लालपुर).	--,,--

जी. डी. जयसिंह,
परिसमापक एवं स. वि. अ.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.